पत्रांक- 57 /जी0एस0टी0/2020-21/फाइल नं0-118/गोरखपुर कारपोरेट सर्किल क्षेत्राधिकार/वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
उत्तर प्रदेश।
लखनऊ:: दिनांक:: 05 जून, 2020

-:आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश सं0-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 से प्रदेश के विभिन्न जोन्स में तैनात ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(जिसे आगे अधिनियम कहा गया है।) की धारा 28, 29, 30, 35, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 , 67(11), 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 123, 126, 127, 129, 130, 142 के प्रयोजन हेतु उचित अधिकारी(Proper Officer) नामित किया गया था।

2. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन- गोरखपुर, से प्राप्त प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर कारपोरेट सर्किल, वाणिज्य कर, गोरखपुर में तैनात ज्वाइन्ट कमिश्नर को गोरखपुर जोन के 60 बड़े व्यापारियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 4(2) से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की उक्त धाराओं के प्रयोजन हेतु इस कार्यालय के आदेश सं0-जी0स0टी0/2019-20/296/वाणिज्य कर दिनांक 26.06.2019 से उचित अधिकारी(Proper Officer) नामित करते हुए आदेश सं0-296 दिनांक 26.06.2019 में अंकित 60 व्यापारियों का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था।

3. वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, गोरखपुर के पद पर तैनात श्री विष्णु प्रताप सिंह की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मुख्यालय तथा शीर्ष स्तर पर नियमित रूप से शिकायत प्राप्त हो रही है। शासन द्वारा इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

श्री रंजन

श्री विष्णु प्रताप सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, गोरखपुर की कार्यप्रणाली के फलस्वरूप पंजीकृत व्यक्तियों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु **<u>गोरखपुर जोन के 60 बड़े पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, गोरखपुर को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उचित अधिकारी(Proper Officer) के रूप में क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय से जारी आदेश सं0-जी0स0टी0/2019-20/296/वाणिज्य कर दिनांक 26.06.2019 विखण्डित किया जाता है।</u>**

DC (I.T.)
05-06.2020

अधिनियम की धारा 4(2) से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय से जारी आदेश सं0-296 दिनांक 26.06.2019 में अंकित 60 पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस आदेश के प्रस्तर 1 में अंकित अधिनियम की धाराओं के प्रयोजन हेतु सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्राधिकार के खण्ड कार्यालयों में तैनात डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, जैसी स्थिति हो, को उचित अधिकारी(Proper Officer) नामित किया जाता है।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 व दिनांकः-उक्त

प्रतिलिपिः-

1. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन-गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई.टी.) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार कामन पोर्टल पर अपेक्षित कार्यवाही संपादित कराने तथा इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना राज0 अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
4. श्री विष्णु प्रताप सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल), वाणिज्य कर, गोरखपुर को अनुपालन हेतु।
5. सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, जैसी स्थिति हो, को अनुपालन हेतु।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि),
वाणिज्य कर, मुख्यालय,
लखनऊ।